

**छत्तीसगढ़ शासन,
जल संसाधन विभाग,
मंत्रालय,
महानदी भवन, अटल नगर
जिला-रायपुर (छ.ग.)**

क्र. 2233 / एफ-1-176 / 31 / एस-2 / 2019,
प्रति,

अटल नगर, दिनांक 24/06/2020

मुख्य अभियंता,
महानदी गोदावरी कछार,
जल संसाधन विभाग,
रायपुर (छ.ग.)

विषय:- दुर्ग जिले के विकासखंड-पाटन की खारुन नदी पर ओदरागहन क्र.-2 एनीकट निर्माण की प्रशासकीय स्वीकृति।

संदर्भ :- प्र.अ. का पत्र क्रमांक-216/बो.प्र./प्रशा.स्वी./2019/12447, नवा रायपुर, दिनांक 28.09.2019.

---00---

राज्य शासन एतद् द्वारा दुर्ग जिले के विकासखंड-पाटन की खारुन नदी पर ओदरागहन क्र.-2 एनीकट निर्माण हेतु लागत राशि रु. 883.38 लाख (रुपये आठ करोड़ तिरासी लाख अड़तीस हजार) मात्र की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करता है।

2. योजना निस्तारी, भू-जल संवर्धन एवं कृषकों द्वारा स्वयं के साधन से 225 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई हेतु प्रस्तावित है।
3. कार्य विभाग नियमावली की कंडिका 2.006 के नीचे दिये गये नोट 3(बी) एवं 3(सी) के अनुसार योजना की तकनीकी स्वीकृति दी जाकर एवं अन्य अभीष्ट औपचारिकताओं को पूर्ण करने के पश्चात निर्माण कार्य प्रारंभ किया जावे तथा कार्य पूर्ण होने के उपरान्त योजना का पूर्णता प्रमाण-पत्र शासन को दिया जावे।
4. छत्तीसगढ़ वित्तीय संहिता भाग-एक के नियम-10 के अनुसार मुख्य अभियंता का यह दायित्व है कि वे कार्य पर नियंत्रण रखें तथा उनके कार्यालय तथा अधीनस्थ आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा प्रशासकीय वित्तीय नियमों का पालन हो।
5. योजना पर व्यय बजट शीर्ष मांग संख्या-45, लघु सिंचाई निर्माण कार्य, 4702-लघु सिंचाई पर पूंजी परिव्यय, {102}-भूतल जल, 0101 राज्य आयोजना (सामान्य), (5059)-एनीकट/स्टापडेम निर्माण, #26-वृहद् निर्माण कार्य, 005-बौध एवं नहर के अंतर्गत विकलनीय होगा।
6. वित्त विभाग द्वारा उनके जावक क्रमांक-233/बजट-2/वित्त/चार/2020, दिनांक 19.06.2020 द्वारा सहमति प्रदान की गई है।
7. योजना का कार्य स्वीकृत राशि एवं निर्धारित समयावधि के अंतर्गत ही पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करें। लागत वृद्धि स्वीकार्य नहीं होगी।
8. निर्माण कार्य की लागत में मितव्ययता को सुनिश्चित किया जावे।
9. संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालन अभियंता निर्माण कार्य की उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित करें।

**छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार**

(याकुब खैर) 6/6/20

संयुक्त सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

(4) जल संसाधन विभाग

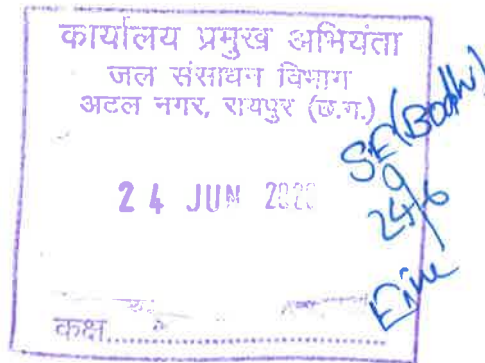
पृ. क्र. 2234/एफ-1-176/31/एस-2/2019,

अटल नगर, दिनांक 24/06/2020

प्रतिलिपि :-

- 1 अपर मुख्य सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर।
 - 2 निज सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी (निवास), छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर।
 - 3 विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी, जल संसाधन विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर।
 - 4 अपर मुख्य सचिव (वित्त), छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर।
 - 5 सचिव, जल संसाधन विभाग छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर।
 - 6 महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, जीरो पाइन्ट, बलौदाबाजार रोड, रायपुर।
 - 7 महालेखाकार (लेखा परीक्षा), जीरो पाइन्ट, बलौदाबाजार रोड, रायपुर।
 - 8 कलेक्टर, जिला-दुर्ग (छ.ग.)।
 - 9 संचालक जनसंपर्क संचालनालय, इन्द्रावती भवन, अटल नगर।
 - 10 प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, शिवनाथ भवन, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर-19, अटल नगर।
 - 11 उप संचालक, मंत्रालय प्रेस प्रकोष्ठ कक्ष क्र.-एम 4-22 अटल नगर।
 - 12 अधीक्षण अभियंता, एम.आई.एस.यूनिट स्टेट डाटा सेंटर, सिविल लाईन्स, रायपुर (छ.ग.)।
 - 13 अधीक्षण अभियंता, जल संसाधन शिवनाथ मण्डल, दुर्ग, जिला-दुर्ग(छ.ग.)।
 - 14 कार्यपालन अभियंता, तांदुला जल संसाधन संभाग, दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.)।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
- 15 आदेश फोल्डर।

66
26/6/2020



संयुक्त सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
जल संसाधन विभाग